

19/12/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/9/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

20/9/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 6/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

6/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एंजलिसेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/12/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधीवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधीवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजे लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5-50 PM हो चुका है। वादी एवं वादी आधीवक्ता के न्यायालय के पुनः एक बार आवाज लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आधीवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं माने लें। वादी द्वारा उच्चतम वाद अन्तर्गत धारा 188 बादा-मान काश्तकारी आधीवक्ता को अदम एजरी/अदम पीबी में जारिज किया जाता है। निर्णय से इजलास खुलना जहां पत्रावली में रिक्ति पत्रावली को ग्राहिल दफ्तर ही तथा नम्बर से कम हो।

19/12/24

सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. उदय लाल पिता प्यारचंद बलाई, उम्र 47 वर्ष निवासी लाल बहादुर शारत्री पार्क के सामने पुर,
भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. पन्ना लाल पिता रोड़ा जी आचार्य उम्र वयस्क निवासी अचरजो का मोहल्लों मण्डी के बालाजी के पास पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मोहन पिता रोड़ा जी आचार्य उम्र वयस्क निवासी अचरजो का मोहल्लों मण्डी के बालाजी के पास पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 190/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री दिनेश शिशोदिया अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 19.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है--

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


19/12/24
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा